समक्ष डीवी सहगल ज.

मोहम्मद आजम और अन्य, *-याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - *प्रतिवादी*

1985 की *सिविल रिट याचिका संख्या 3760*

14 फ़रवरी 1986

*पंजाब आयुर्वेदिक और यूनानी प्रैक्टिशनर्स अधिनियम (*1963 का 42) - *धारा* 2(आई), 2(एच), 14, 15 *और* 29 - *भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद*

अधिनियम (48, 1970*) - धारा* 17, 23, 24 *और* 25 - *बिहार आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि प्रणालियों का विकास* अधिनियम, 1951 - *धारा* 39 *- बिहार अधिनियम के तहत बिहार राज्य परिषद के साथ पंजीकृत आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक - उनके नाम न तो पंजीकृत हैं और न ही केंद्रीय अधिनियम और पंजाब अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए पात्र हैं - ऐसे चिकित्सक - चाहे वे हरियाणा राज्य में अभ्यास करने के हकदार हों।*

निर्धारित किया गया कि जहां आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों के पास भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी, तीसरी या चौथी अनुसूची में उल्लिखित मान्यता प्राप्त योग्यताओं में से एक नहीं है और वे उप-धारा (1) के दायरे में नहीं आते हैं। (उक्त अधिनियम की धारा 17 और केंद्रीय अधिनियम के प्रारंभ होने पर बिहार

अधिनियम के तहत सूची में नामांकित नहीं थे, फिर स्पष्ट कारणों से, वे उप-धारा के खंड (सी) और (डी) के अंतर्गत भी शामिल नहीं हैं (3) केंद्रीय अधिनियम की धारा 17 के। निस्संदेह, केंद्रीय अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (बी) के आधार पर, उन्हें भारतीय चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए बिहार अधिनियम के तहत विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन केंद्रीय अधिनियम के संदर्भ में इस विशेषाधिकार का लाभ केवल बिहार राज्य के भीतर ही उठाया जा सकता है। यदि केंद्रीय परिषद के रजिस्टर में नामांकन के लिए पात्र हुए बिना बिहार अधिनियम के तहत उनका पंजीकरण किया जाता है, तो इसे खंड (बी) के तहत माना जाएगा। केंद्रीय अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) का अर्थ यह है कि वे पूरे भारत में भारतीय चिकित्सा का अभ्यास करने के हकदार हैं, केंद्रीय अधिनियम की धारा 23 से 25 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 17(2) का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसलिए, पंजाब या हरियाणा राज्य में भारतीय चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए चिकित्सक को केंद्रीय अधिनियम या पंजाब अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। (पैरा 15).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 *के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि-*

(i) *केस* 71 *के* 1 के रिकॉर्ड 3 *मई को मांगे जा सकते हैं;*

(ii) *उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस की सेवा से मुक्ति दी जा सकती है;*

(iii) *अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से मुक्ति दी जाए;*

(iv) *विवादित आदेश अनुलग्नक पी.2 को रद्द करने के लिए* सर्टिओरी *प्रकृति की एक रिट जारी की जाए;*

(v) *याचिकाकर्ता को हरियाणा में प्रैक्टिस करने से न रोकने के लिए उत्तरदाताओं को* परमादेश *या* सर्टिओरी *प्रकृति की एक रिट जारी की जाए;*

(vi) *यह माननीय न्यायालय कोई भी आदेश पारित कर सकता है जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में उचित समझे;*

(vii) *इस याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जाए।*

आगे प्रार्थना करते हुए कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं को हरियाणा में पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ताओं के वकील आरके मलिक

जी.एस. चावला, अधिवक्ता, *प्रतिवादी नं1 के लिए*

एच.एस. गिल, वकील, एन.के. भारद्वाज, प्रतिवादी संख्या 3 *के लिए,*

<u>निर्णय</u>

डीवी *सहगल, ज.*

(1) यह निर्णय सीडब्ल्यू पीएस 1985 के क्रमांक 3457, 4758, 5861 और 5887 का भी निपटान करेगा क्यूंकी इन सभी याचिकाओं में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।

(2) 1985 के सीडब्ल्यूपी नंबर 3760 के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता बिहार राज्य 'आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि परिषद, पटना, जिसे हिंदी में आयुर्वेदिक एवं चिकित्सा परिषद, बिहार के नाम से जाना जाता है, के साथ चिकित्सा चिकित्सकों के रूप में विधिवत पंजीकृत हैं। वे पानीपत में पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों के रूप में अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने रजिस्ट्रार, बिहार राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा परिषद, पटना को सूचित किया कि वे अपना पता बदलना चाहते हैं और पानीपत में प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उनके पते में आवश्यक परिवर्तन उक्त रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में किए गए हैं। याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा प्राप्त इस आशय के 9 अगस्त 1980 के संचार की एक प्रति अनुबंध पी 1 है।

(3) हरियाणा आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड ने अपने रजिस्ट्रार, प्रतिवादी नंबर 3 के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि वे हरियाणा में अपना नाम पंजीकृत नहीं करा सकते हैं और न ही वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। हरियाणा राज्य, याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा प्राप्त इस आशय का एक पत्र अनुलग्नक पी 2 है। इसी तरह के पत्र अन्य याचिकाकर्ताओं को भी प्राप्त हुए थे, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने यह जांचने के लिए एक विशेष दल नियुक्त किया है कि क्या कोई

अपंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है हरियाणा राज्य में अभ्यास कर रहा है। स्थानीय ड्रग्स इंस्पेक्टर ने भी उनसे संपर्क किया और

1 .एलआर पंजाब और हरियाणा (1987)1

---------:—--- ---------

उन्हें हरियाणा राज्य में चिकित्सा चिकित्सकों के रूप में अपना अभ्यास जारी रखने के खिलाफ चेतावनी दी। स्थानीय केमिस्टों और ड्रगिस्टों को निर्देश दिया गया है कि वे उन मरीजों को कोई भी दवा न दें, जिन्हें किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी दवाएं लिखी गई हैं, जो हरियाणा राज्य में चिकित्सा चिकित्सकों के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। वर्तमान रिट याचिकाओं के माध्यम से, उनका तर्क है कि वे बिहार राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि परिषद, पटना के साथ चिकित्सा चिकित्सकों के रूप में विधिवत पंजीकृत हैं, इसलिए हरियाणा राज्य में अभ्यास करना उनके अधिकार में है। उन्होंने याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 से प्राप्त पत्र अनुलग्नक पी-2 और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त समान पत्रों को रद्द करने के लिए *सर्टिओरीरी रिट की प्रार्थना की है। उत्तरदाताओं को यह निर्देश देने के लिए परमादेश* की प्रकृति में एक रिट की प्रार्थना भी की गई है कि वे याचिकाकर्ताओं को हरियाणा राज्य में पंजीकृत मेडिकल-प्रैक्टिशनर के रूप में प्रैक्टिस करने से न रोकें। दो अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए हैं - एक प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से और दूसरा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से। इसमें यह तर्क दिया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के पास पंजाब आयुर्वेदिक और यूनानी के तहत निर्धारित योग्यता नहीं है। प्रैक्टिशनर्स अधिनियम, 1963 (संक्षेप में 'पंजाब अधिनियम'), या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (संक्षेप में 'केंद्रीय अधिनियम'), वे पंजाब अधिनियम के तहत चिकित्सा चिकित्सकों के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकते हैं और

हरियाणा राज्य में अभ्यास नहीं कर सकते हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं का बिहार आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली विकास (आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों की सूची) नियम, 1976 (संक्षेप में 'बिहार नियम') के तहत नामांकन या पंजीकरण, उन्हें आगे बढ़ने के लिए योग्य नहीं बनाता है। हरियाणा राज्य में पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों के रूप में उनका अभ्यास ।

(4) पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी विवादों के गुणों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से, उन विभिन्न वैधानिक प्रावधानों को संक्षेप में बताना आवश्यक है जिन पर भरोसा किया गया है। पंजाब अधिनियम की धारा 14 में कहा गया है कि आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली बोर्ड के रजिस्ट्रार, जो पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य में अलग-अलग गठित हैं, रजिस्टर का रखरखाव करेंगे और सचिव के रूप में कार्य करेंगे। बोर्ड। रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में होगा और इसमें प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के नाम, पते और योग्यताएं शामिल होंगी, साथ ही वे तारीखें भी होंगी जिन पर योग्यताएं हासिल की गईं और इसे निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात्-

भाग 1 में धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम शामिल हैं ; और

भाग 2 में धारा 15 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम शामिल हैं।

पंजाब अधिनियम की धारा 15(1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अनुसूची I में निर्दिष्ट कोई भी योग्यता होगी, जो अधिनियम के

प्रावधानों के अधीन होगा और इस संबंध में निर्धारित शुल्क का भुगतान करने का हकदार होगा। क्या उसका नाम निर्धारित शर्तों के अधीन रजिस्टर के भाग I में दर्ज किया गया है - इसकी उपधारा (3) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास अनुसूची I में निर्दिष्ट योग्यताएं नहीं हैं, लेकिन जिसका नाम तुरंत दर्ज किया गया है 13 दिसंबर, 1963 से पहले, पूर्वी पंजाब आयुर्वेदिक और यूनानी प्रैक्टिशनर्स अधिनियम, 1949 की धारा 34 के तहत या पेप्सू आयुर्वेदिक और यूनानी प्रैक्टिशनर्स अधिनियम 2008 बीके की धारा 33 के तहत रखी गई सूची में; या जो 30 जून, 1972 तक रजिस्ट्रार की संतुष्टि के लिए यह साबित कर दे कि वह नवंबर, 1966 के पहले दिन एक व्यवसायी के रूप में अभ्यास कर रहा था और अधिनियम के प्रावधानों के अधीन और भुगतान पर जारी रहेगा। इस संबंध में निर्धारित शुल्क के आधार पर , वह निर्धारित शर्तों के अधीन अपना नाम रजिस्टर के भाग II में दर्ज कराने का हकदार होगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस पर कोई विवाद नहीं है कि उनके पास पंजाब अधिनियम की अनुसूची I में निर्धारित योग्यताएं नहीं हैं और इसलिए, वे प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा बनाए गए रजिस्टर के भाग I में पंजीकृत होने के हकदार नहीं हैं। यह भी स्पष्ट है याचिका में कहा गया है कि किसी भी याचिकाकर्ता का नाम पंजाब अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) में उल्लिखित दो सूचियों में से किसी में दर्ज नहीं किया गया था और न ही उनमें से कोई भी चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अभ्यास कर रहा था। 1 नवंबर, 1966 को। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उनमें से कोई भी पंजाब अधिनियम के तहत प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा बनाए गए रजिस्टर के भाग I या भाग II में शामिल होने का हकदार नहीं है।

(5) बिहार राज्य का अपना कानून है, जिसे बिहार आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि प्रणाली विकास अधिनियम, 1951 (संक्षेप में 'बिहार अधिनियम') के रूप में जाना जाता है। बिहार अधिनियम की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल ने बिहार आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली विकास (आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों की सूची) नियम, 1976 बनाए। बिहार राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी परिषद मेडिसिन का गठन बिहार के अंतर्गत होता है। अधिनियम और उक्त अधिनियम के आधार पर एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। आयुर्वेदिक और चिकित्सकों की एक सूची के तहत रजिस्ट्रार द्वारा यूनानी चिकित्सा पद्धति तैयार की जाती है । उक्त सूची में अपना नाम दर्ज कराने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'ए' में आवेदन करना आवश्यक है। निर्धारित शुल्क के साथ बिहार नियम। इसके नियम 9 के तहत प्रत्येक वैद्य या हकीम, जो रजिस्ट्रार की राय में चिकित्सा के कुशल अभ्यास के लिए आवश्यक पर्याप्त ज्ञान और कौशल रखता है और जो सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों द्वारा बनाई गई सभी शर्तों को पूरा करता है और जिनकी प्रैक्टिस की अवधि 7 वर्ष से कम न हो, उनके द्वारा जारी प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए-

(1) परिषद या संकाय का सदस्य।

(2) बिहार विधान सभा या परिषद का सदस्य।

(3) प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन का अध्यक्ष या सचिव।

(4) अध्यक्ष अंजुमन अतिब्बा सूबे, बिहार।

(5) परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष।

(6) राज्य या केंद्र सरकार का राजपत्रित अधिकारी।

(7) लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को बिहार नियमावली के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। यह बिहार अधिनियम और बिहार नियमों के तहत है कि याचिकाकर्ताओं को आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा चिकित्सकों के रूप में पंजीकृत किया गया था।

(6) जहां तक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों के रूप में याचिकाकर्ताओं की पात्रता का सवाल है , उनकी स्थिति संदेह में नहीं है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 का नियम 2(ईई) एक 'पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी' को इस प्रकार परिभाषित करता है-

2(ईई) : "'पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर' का अर्थ है प्रति पुत्र-

(i) किसी प्राधिकारी द्वारा दी गई योग्यता धारण करना; भारतीय चिकित्सा की धारा 3 के तहत निर्दिष्ट या अधिसूचित डिग्री अधिनियम, 1916 (1916 का 7), या भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में निर्दिष्ट; या

(ii) होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली को छोड़कर चिकित्सा की आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए किसी राज्य के मेडिकल रजिस्टर में पंजीकृत या पंजीकरण के लिए पात्र; या

(iii) रजिस्टर फॉक्स के अलावा किसी मेडिकल रजिस्टर में पंजीकृत किसी राज्य के होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीकरण, जो उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें राज्य द्वारा बनाए गए एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा घोषित किया जाता है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा की आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के रूप में सरकार; या

(iv) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के तहत किसी राज्य के लिए दंत चिकित्सकों के रजिस्टर में पंजीकृत या पंजीकरण के लिए पात्र; या

(v) जो पशु चिकित्सा के अभ्यास में लगा हुआ है और जिसके पास राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योग्यता है।

(7) याचिकाकर्ताओं को बिहार अधिनियम और बिहार नियमों के तहत बिहार सरकार द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया गया है, जो ऊपर उद्धृत नियम 2 (ईई) के उप-खंड (ii) के अंतर्गत आते हैं। डीएस तेवतिया,

ज. [*एम/एस मित्तल ट्रेडिंग एजेंसी* बनाम *पंजाब राज्य और अन्य* (1)] द्वारा तय किया गया मामला लगभग याचिकाकर्ताओं के समान ही है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के रुख का समर्थन करता है।

(8) यद्यपि उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा, उत्तरदाताओं का तर्क यह है कि चूंकि वे पंजाब अधिनियम के तहत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी नहीं हैं, वे इसकी धारा 29 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, जिसे यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

29. *अभ्यास करने पर प्रतिबंध* :

> "पंजीकृत चिकित्सक के अलावा कोई भी व्यक्ति, आयुर्वेदिक प्रणाली या यूनानी प्रणाली का अभ्यास करने या अभ्यास करने के लिए तैयार होने के रूप में, सीधे या निहितार्थ से, खुद को अभ्यास नहीं करेगा या बाहर नहीं रखेगा।"

(9)इसलिए, इन याचिकाओं में विचार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या पंजाब अधिनियम के तहत पंजीकृत हुए बिना याचिकाकर्ता पंजाब और हरियाणा राज्यों में भारतीय चिकित्सा का अभ्यास करने के हकदार हैं।

पंजाब अधिनियम की धारा 2(i) 'पंजीकृत व्यवसायी' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है 'एक व्यवसायी, जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज

किया गया है, या दर्ज किया गया माना जाता है।' उक्त अधिनियम की धारा 2(एच) में 'रजिस्टर' को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है ' धारा 14 के तहत मुख्य चिकित्सकों का नया रजिस्टर'। इन प्रावधानों के आधार पर ही उत्तरदाताओं का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं को पंजाब अधिनियम के तहत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी नहीं होने के कारण पंजाब राज्य या हरियाणा राज्य में प्रैक्टिस करने का कोई अधिकार नहीं है।

(10) यहां केंद्रीय कानून के प्रावधानों पर गौर करना जरूरी है. केंद्रीय अधिनियम की धारा 23 से 25 निम्नानुसार प्रदान करती है: -

"23. *भारतीय चिकित्सा का केंद्रीय रजिस्टर:*

(1) केंद्रीय परिषद निर्धारित तरीके से भारतीय चिकित्सा की प्रत्येक प्रणाली के लिए अलग-अलग हिस्सों में चिकित्सकों का एक रजिस्टर बनाए रखेगी, जिसे भारतीय चिकित्सा के केंद्रीय रजिस्टर के रूप में जाना जाएगा, जिसमें सभी पुत्रों के नाम शामिल होंगे। फिलहाल भारतीय चिकित्सा के किसी भी राज्य रजिस्टर में नामांकित हैं और जिनके पास कोई भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता है।

(2) के प्रावधानों के अनुसार भारतीय चिकित्सा के केंद्रीय रजिस्टर को बनाए रखना और बनाए रखना केंद्रीय परिषद के रजिस्ट्रार का कर्तव्य होगा। यह अधिनियम और केंद्रीय परिषद द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का सीआईएल,

और समय-समय पर रजिस्टर को संशोधित करने और इसे प्रकाशित करने के लिए। भारत के राजपत्र और ऐसे अन्य तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है।

(3) इस तरह के रजिस्टर को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थ के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज़ माना जाएगा, और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक ईडीपी द्वारा साबित किया जा सकता है;

(24) *भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर की प्रतियों की आपूर्ति:*

प्रत्येक बोर्ड केंद्रीय परिषद को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तुरंत बाद और उसके बाद प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले दिन के बाद भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर की तीन मुद्रित प्रतियां प्रदान करेगा, और प्रत्येक बोर्ड केंद्रीय परिषद को सूचित करेगा। भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में समय-समय पर किए गए सभी परिवर्धन और अन्य संशोधनों के बिना सीआईएल

(25) *भारतीय चिकित्सा के केंद्रीय रजिस्टर में पंजीकरण:*

केंद्रीय परिषद के रजिस्ट्रार भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में किसी व्यक्ति के पंजीकरण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व निर्धारित तरीके से किए गए आवेदन पर उसका नाम भारतीय चिकित्सा के केंद्रीय रजिस्टर में दर्ज कर सकते हैं, बशर्ते रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति इस अधिनियम के तहत ऐसे पंजीकरण के लिए पात्र है।"

केंद्रीय अधिनियम में उपरोक्त प्रावधान भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर को बनाए रखने वाले प्रत्येक बोर्ड के लिए यह अनिवार्य बनाते हैं कि वह केंद्रीय परिषद को राज्य रजिस्टर की तीन मुद्रित प्रतियों की आपूर्ति करे। केंद्रीय अधिनियम की शुरुआत और उसके बाद प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के पहले दिन, और प्रत्येक बोर्ड समय-समय पर भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में किए गए सभी परिवर्धन और अन्य संशोधनों के बारे में केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित केंद्रीय परिषद को सूचित करेगा। समय पर। भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में किसी व्यक्ति के पंजीकरण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर केंद्रीय परिषद के रजिस्ट्रार को उसका नाम भारतीय चिकित्सा के केंद्रीय रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक है, बशर्ते वह संतुष्ट हो कि संबंधित व्यक्ति केंद्रीय अधिनियम के तहत ऐसे पंजीकरण के पात्र है।

(11) इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता केंद्रीय अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार के साथ विधिवत पंजीकृत हैं, तो वे पंजाब और हरियाणा राज्यों सहित पूरे भारत में पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों के रूप में भारतीय चिकित्सा का अभ्यास करने के हकदार हैं।

(12) कानूनी, चिकित्सा और अन्य पेशे भारत के संविधान की अनुसूची 7 में शामिल सूची 3 -समवर्ती सूची-की प्रविष्टि 26 के अंतर्गत आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 254, *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रावधान करता है कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का कोई भी प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी भी प्रावधान, जिसे संसद अधिनियमित करने के लिए सक्षम है, या मौजूदा कानून के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल है। समवर्ती सूची में उल्लिखित मामलों में से किसी एक के संबंध में कानून, खंड (2) के प्रावधानों के अधीन, संसद द्वारा बनाया गया कानून, चाहे वह ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से पहले या बाद में पारित हुआ हो, या जैसा भी मामला हो, मौजूदा कानून प्रभावी होगा और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून, प्रतिकूलता की सीमा तक, शून्य होगा। पंजाब अधिनियम को वर्ष 1963 में क़ानून की किताब में लाया गया था। केंद्रीय अधिनियम वर्ष 1970 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति जो केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर भारतीय चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए पात्र है, पंजाब और हरियाणा राज्य में भी वह अभ्यास कर सकता है।

.

(13) याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय को संतुष्ट करना है कि उनका नाम केंद्रीय अधिनियम के तहत रजिस्टर में दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चूंकि उनके नाम। बिहार अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए सूची में शामिल हैं, इस संबंध में जानकारी उनके द्वारा केंद्रीय अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार को भेजी गई होगी और यह माना जाएगा कि इसे बनाए गए रजिस्टर में जोड़ा गया होगा। हालाँकि, यह इतना आसान नहीं है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 23 से 25 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति का नाम केंद्रीय रजिस्टर में दर्ज होने से पहले, राज्य रजिस्टर में नामांकित होने के अलावा उसके पास कोई मान्यता प्राप्त योग्यता होनी चाहिए, या रजिस्ट्रार होना चाहिए संतुष्ट हैं कि ऐसा व्यक्ति केंद्रीय अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए पात्र है।

(14) केंद्रीय अधिनियम की धारा 17 निम्नानुसार प्रदान करती है:

-

17.नामांकित होने के लिए दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के अधिकार:

(1) इस अधिनियम में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, किसी भी चिकित्सा योग्यता को दूसरे, तीसरे में शामिल किया गया है या चौथी अनुसूची भारतीय चिकित्सा के किसी भी राज्य रजिस्टर में नामांकन के लिए पर्याप्त योग्यता होगी।

(2) धारा 28 में दिए गए प्रावधान के अलावा, भारतीय चिकित्सा के

एक व्यवसायी के अलावा कोई भी व्यक्ति, जिसके पास मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता है और जो राज्य रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा के केंद्रीय रजिस्टर में नामांकित है-

(ए) सरकार में या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी संस्थान में वैद, सिद्ध, हकीम या चिकित्सक या किसी अन्य पद पर (चाहे जिस भी पदनाम से जाना जाता हो) पद धारण करेगा;

(बी) किसी भी राज्य में भारतीय चिकित्सा का अभ्यास करेगा;

(सी) किसी मेडिकल या फिटनेस प्रमाण पत्र या किसी भी कानून द्वारा आवश्यक किसी भी अन्य प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या प्रमाणित करने के लिए एक योग्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षर करने या प्रमाणित करने का हकदार होगा;

(डी) भारतीय चिकित्सा से संबंधित किसी भी मामले पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45-पीएफ के तहत एक विशेषज्ञ के रूप में किसी भी जांच में या कानून की किसी भी अदालत में साक्ष्य देने का हकदार होगा।

(3) उपधारा (2) में निहित कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं करेगी:

(ए) नामांकित भारतीय चिकित्सा व्यवसायी का अधिकार। किसी भी राज्य में भारतीय चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए भारतीय चिकित्सा का एक राज्य रजिस्टर मात्र पर। आधार यह है कि, इस अधिनियम के प्रारंभ पर, वह ऐसा नहीं करता है। मान्यता प्राप्त

.

चिकित्सा योग्यता हो;

(बी) भारतीय चिकित्सा के चिकित्सकों के पंजीकरण से संबंधित किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदत्त विशेषाधिकार (चिकित्सा की किसी भी प्रणाली का अभ्यास करने का अधिकार सहित) जो किसी भी राज्य में फिलहाल लागू हो। भारतीय चिकित्सा को भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामांकित किया गया;

(सी) किसी व्यक्ति को ऐसे राज्य में भारतीय चिकित्सा का अभ्यास करने का अधिकार, जिसमें इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, भारतीय चिकित्सा का राज्य रजिस्टर नहीं रखा जाता है, यदि ऐसे प्रारंभ पर, वह कम से कम पांच वर्षों से भारतीय चिकित्सा का अभ्यास कर रहा हो;

(डी) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 द्वारा या उसके तहत प्रदत्त अधिकार (प्रैक्टिस करने के अधिकार सहित) उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (एफ) में परिभाषित चिकित्सा, उक्त अधिनियम की अनुसूचियों में शामिल किसी भी योग्यता रखने वाले व्यक्तियों पर।

(4) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (2) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे एक वर्ष तक की कैद, या एक हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(15) याचिकाकर्ताओं के पास केंद्रीय अधिनियम की दूसरी, तीसरी या चौथी अनुसूची में उल्लिखित मान्यता प्राप्त योग्यताओं में से एक भी नहीं है। इस प्रकार, वे उपरोक्त धारा 17 की उपधारा (1) के दायरे में नहीं आते हैं । 1970 में केंद्रीय अधिनियम के प्रारंभ होने पर उन्हें बिहार अधिनियम के तहत सूची में नामांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार, वे *पूर्वोक्त* उपधारा (3)(सी) अंतर्गत नहीं आते हैं। *स्पष्ट कारणों से, वे उपरोक्त* उपधारा (3) के खंड (सी) और (डी) के अंतर्गत भी शामिल नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, उपरोक्त उपधारा (3) के खंड (बी) के आधार पर, उन्हें भारतीय चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए बिहार अधिनियम के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन केंद्रीय अधिनियम के संदर्भ में वे इस विशेषाधिकार का लाभ उठा सकते हैं। बिहार राज्य के अंतर्गत यदि केंद्रीय परिषद के रजिस्टर में नामांकन के लिए पात्र हुए बिना बिहार अधिनियम के तहत उनका पंजीकरण केंद्रीय अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (बी) के तहत माना जाएगा तो इसका मतलब यह होगा कि वे इसके हकदार हैं। पूरे भारत में भारतीय चिकित्सा का अभ्यास करने पर, केंद्रीय अधिनियम की धारा 23 से 25 के साथ पढ़ी

जाने वाली धारा 17(2) का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए, मेरे विचार में, पंजाब और हरियाणा राज्यों में भारतीय चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए, उन्हें या तो केंद्रीय अधिनियम या पंजाब अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। चूँकि वे इस प्रकार पंजीकृत नहीं हैं, इसलिए वे इन रिट याचिकाओं में उनके द्वारा दावा की गई राहत के हकदार नहीं हैं।

(16) नतीजतन, इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर इन्हें लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रीतिका शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा